

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/33/2021

रजि० न० 2021/73

अपीलार्थी:-

श्री कृष्ण कुमार पुत्र सत्यवीर, निवासी
ग्राम शिवदानसिंहपुरा, पोस्ट खोहर तह०
बहरोड़, जिला अलवर (राज०)

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति०
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 30.03.2021

- 1.अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- 2.अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- 3.अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.03.2021 को उपस्थित आवे।
- 4.अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/694 दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि अति० जिला कलेक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलेक्टर, अलवर के पत्रांक सतर्कता/सूकाअ-05/2021/207 दिनांक 18.01.2021 के माध्यम से सूचना प्राप्त कर, कार्यालय के पत्र लो.सू./विविध/2021/186 दिनांक 21.01.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसके अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही बाबत जानकारी उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर से प्राप्त की जा सकती है।
- 5.अतः प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही बाबत जानकारी उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी को चाहिए कि प्रकरण में आगामी कार्यवाही बाबत जानकारी उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर में संपर्क स्थापित कर प्राप्त करें। इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराई जाना अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
- 6.लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
- 7.निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
- 8.पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(नन्मूल पहाड़िया)

जिला कलेक्टर, अलवर
अलवर (राज०)